सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
Ministry of Home Affairs, Department of Official Language
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
Central Hindi Training Institute

संख्या- ए-45011/06/2021-केहिप्रसं./ 2679 दिनांक : 26/11/2024

कार्यालय आदेश

विषय - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत संयुक्त निदेशक (भाषा)/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)/उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), सहायक निदेशक (भाषा)/हिंदी प्राध्यापक तथा सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के स्थानांतरण हेतु कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए निर्धारित नीतियों के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 05 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 14034/06/2021-रा.भा.(प्रशि.) के द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत संयुक्त निदेशक (भाषा/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)/उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), सहायक निदेशक (भाषा)/हिंदी प्राध्यापक तथा सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के स्थानांतरण हेतु कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए निर्धारित नीतियों की सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी संसूचित किए जाने के पश्चात् केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में तत्काल प्रभाव से उक्त स्थानांतरण नीति (प्रति संलग्न) लागू की जाती है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 05 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 14034/06/2021-रा.भा.(प्रशि.) के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण समिति का स्वरूप निम्नलिखित होगा :-

i	निदेशक/विभागाध्यक्ष, केहिप्रसं.	-	अध्यक्ष
ii	उप सचिव, राजभाषा विभाग	-	सदस्य
iii	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक,केहिप्रसं./हिशियो	-	सदस्य
iv	प्रशासनिक अधिकारी/उप निदेशक (मु.)	-	सदस्य

- उप निदेशक के स्थानांतरण के मामलों में संयुक्त निदेशक ही समिति के सदस्य होंगे जबकि सहायक निदेशक के स्थानांतरण के मामलों में संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक में से उपलब्ध कोई एक अधिकारी सदस्य होंगे।
- उपरोक्त स्थानातंरण समिति की सिफारिश पर संयुक्त निदेशक के स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव, राजभाषा विभाग, उप निदेशक के स्तर के अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग तथा सहायक निदेशक के स्तर के अधिकारियों के लिए निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान सक्षम प्राधिकारी होंगे।

यह कार्यालय आदेश निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

26-11-2024
(नरेन्द्र कुमार प्रसाद)
उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

संलग्नक - यथोपरि।

7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-03
7th Floor,P.Deendayal Antyodaya Bhawan,C.G.O.Complex,Lodhi Road,New Delhi-03
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website:http://chti.rajbhasha.gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. अवर सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 05 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं.-14034/06/2021-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
2. उप निदेशक/सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष, हिंदी शिक्षण योजना, (पूर्वोत्तर/पूर्व/मध्योत्तर/परीक्षा/पश्चिम/दक्षिण),गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नै।
3. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर/पूर्व/पश्चिम), नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई।
4. सलाहकार (प्रशासनिक अधिकारी), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
5. सलाहकार (उप निदेशक), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
6. सहायक निदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
7. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (भाषा एवं टंकण/आशुलिपि), के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली।,
8. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (टंकण/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में कम्प्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए स्थानांतरण नीति

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	क्षेत्रवार पद	एक स्थान पर तैनाती की अवधि
1.	संयुक्त निदेशक (भाषा)	7	नई दिल्ली-3 मुंबई-1 चेन्नै-1 कोलकाता-1 गुवाहाटी-1	7 वर्ष
2.	संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	2	नई दिल्ली-2	लागू नहीं
3.	उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)	18	नई दिल्ली-7 मुंबई-2 बेंगलुरू-1 चेन्नै-2 हैदराबाद-1 विशाखापट्टनम-1 कोलकाता-2 गुवाहाटी-2	7 वर्ष
4.	उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	4	नई दिल्ली-2 मुंबई-1 कोलकाता-1	7 वर्ष
5.	सहायक निदेशक (भाषा)/हिंदी प्राध्यापक	150	अनुलग्नक 'क'	7 वर्ष-सामान्य क्षेत्र* 3 वर्ष-कठिन क्षेत्र** (स्वेच्छा से कठिन क्षेत्र में ट्रांसफर/पोस्टिंग पर -7 वर्ष)
1.	सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	35	अनुलग्नक 'ख'	7 वर्ष- सामान्य क्षेत्र (श्रेणी 'क')* 3 वर्ष- कठिन क्षेत्र** (स्वेच्छा से कठिन क्षेत्र में ट्रांसफर/पोस्टिंग पर -7 वर्ष)

***सामान्य क्षेत्र** - उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत = **अवधि 07 वर्ष**

** **कठिन क्षेत्र**- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप = **अवधि 03 वर्ष**।

*** **पूर्वोत्तर में विशेष रूप से तैनाती** की स्थिति में कम से कम **07 वर्ष**।

.....2/..

26-11-2024

टिप्पणी:- स्थानांतरण हेतु अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के अनुसार होगी ।

1. उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अवधि निम्नलिखित स्थितियों / मामलों में लागू नहीं होगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार तय अवधि से पहले भी स्थानांतरण करने पर विचार किया जा सकता है अथवा अवधि पूर्ण होने पर भी स्थानांतरण लंबित रखा जा सकता है:-

I. किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय/ अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति में।

II. नियंत्रक अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में औचित्य पूर्ण विपरीत टिप्पणी करने की स्थिति में।

III. पदोन्नति की स्थिति में। (अवधि गणना वर्तमान पद, पदोन्नति के उपरान्त के अनुसार होगी।)

IV. चिकित्सा अथवा अनुकंपा/मानवीय आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से।

V. निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों का 70 % से कम होने पर।

VI. अपरिहार्य कार्यात्मक आवश्यकता की स्थिति में।

2. कठिन क्षेत्र के मूल निवासी/कार्मिकों को यदि उनके क्षेत्र से बाहर तैनात किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उन्हें प्रार्थना के आधार पर वापस उनके क्षेत्र में स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वहां स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध हो।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप (कठिन क्षेत्र) में अपना कार्यकाल [टेन्योर (Tenure)] पूरा करने वाले अधिकारी अगली पोस्टिंग के लिए तीन विकल्प (केंद्र) उचित माध्यम से निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को नवंबर/ दिसंबर में भेजेंगे। अधिकारी द्वारा दिए गए विकल्पों (केंद्रों) के अनुरूप पोस्टिंग देने के लिए प्रशासनिक व्यावहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम स्तर तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप (कठिन क्षेत्र) में स्वेच्छा से नियुक्ति /स्थानांतरण की स्थिति में कम से कम 7 वर्ष की सेवा के पश्चात ही कार्मिक के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

5. कठिन क्षेत्र में तैनाती और 3 वर्ष की अवधि का तात्पर्य कार्मिक द्वारा भौतिक रूप से तैनाती स्थल पर बिताए गए समय से है। कार्मिक यदि इस अवधि में सीसीएल (CCL)/शिक्षा/चिकित्सा अवकाश या अन्य कारणों से लंबे अवकाश (एक माह से अधिक) पर रहा है तो इस अवकाशावधि को 3 वर्ष की अवधि में नहीं माना जाएगा। तदनुसार कार्मिक को उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए अति कठिन क्षेत्र में तैनाती पर सेवा करनी होगी।

6. सामान्यतः चॉइस पोस्टिंग के मामले पर तभी विचार किया जाएगा जब इच्छित जगह पर स्पष्ट रिक्ति होगी अथवा उस स्थान पर कार्यरत कार्मिक का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो।

7. चॉइस पोस्टिंग हेतु किसी केंद्र के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी को मौका दिया जाएगा बशर्ते वह उत्कृष्ट निष्पादन की शर्त पूरी करता हो।

....3/..

26-11-2024

8. पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा और सेवा अवधि उपरोक्त तालिका के अनुसार तय होगी। तथापि रिक्तियों के संतुलन और प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं।
9. म्यूचुअल स्थानांतरण को स्वेच्छा से स्थानांतरण माना जाएगा और इसके लिए कार्मिक को पूरे सेवाकाल में केवल एक मौका दिया जाएगा। म्यूचुअल स्थानांतरण का उल्लेख स्थानांतरण आदेश में किया जाएगा और उसकी प्रविष्टि सेवा पंजिका में की जाएगी। म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प केवल सामान्य स्थानांतरण के प्रारंभ में लागू होगा।
10. कार्मिक के सेवानिवृत्त होने में यदि 3 वर्ष से कम समय शेष रहता है तो यथासंभव उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तथापि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में प्रयोजन मूलक आवश्यकता (Functional Requirement) के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।
11. हिंदी भाषा तथा हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाओं के दौरान स्थानांतरण प्रभावी नहीं किए जाएंगे, इन परिस्थितियों में स्थानांतरित कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के पश्चात् कार्यमुक्त किया जाएगा।
12. जिन कार्मिकों का वर्तमान तैनाती स्थान पर 3 अथवा 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और जो स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत स्थानांतरित होने वाले हैं, किंतु यदि उनके बच्चे आगामी बोर्ड की (10 वीं, 12 वीं) की परीक्षा देने वाले हैं, तो बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कार्मिकों का कार्यकाल उनके अनुरोध पर उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर 1 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है।
13. सामान्यतः किसी स्थल पर तैनाती की न्यूनतम अवधि से पहले किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, किंतु-

    I. अधिकारी की वैवाहिक स्थितिः जहां पति-पत्नी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत हैं अथवा केंद्र सरकार / राज्य सरकार में कार्यरत हैं तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोनों का स्थानांतरण एक ही स्थान पर करने पर विचार किया जा सकता है।

    II. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्मिक के स्वयं/ पत्नी अथवा बच्चों व पूर्ण आश्रित माता-पिता की चिकित्सीय आधार पर स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। चिकित्सीय आधार पर स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित रोगों को संज्ञान में लिया जाएगा:-

        1. कैंसर
        2. लकवा
        3. गुर्दे का पूरी तरह काम करना बंद कर देना
        4. कोरोनरी आर्टरी डिजीज
        5. थेलिसीमिया
        6. पार्किसन
        7. मोटर न्यूरॉन्स
        8. 40% से अधिक मानसिक असंतुलन के साथ अन्य कोई रोग
        9. एड्स

26-11-2024

III. **दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण से छूट**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 8 अक्टूबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/3/2014-Estt.(Res) (अनुलग्नक 'ग') के आलोक में ऐसे कार्मिक जो आश्रित पत्नी/ बेटा/बेटी/ अभिभावक/ माता- पिता/ भाई / बहन जो कि प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित विशेष दिव्यांग हैं और मानदंड के अनुरूप दिव्यांगता है, के मुख्य देखभाल करने वाले कार्मिक हैं तो ऐसे कार्मिक को प्रशासनिक बाध्यताओं के अलावा सामान्यतः स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। दिव्यांग कार्मिकों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आकलन के आधार पर प्रशासनिक बाध्यताओं के अलावा यथासंभव चॉइस पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा।

14. **विशेष टिप्पणी**

I. स्थानांतरण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सही, सटीक और पूर्ण डाटाबेस का होना आवश्यक है। प्रशासन अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्मिकों की प्रोफाइल वाला डेटाबेस "कंप्यूटर आधारित स्थानांतरण प्रणाली" में अद्यतन रखें।

II. सक्षम प्राधिकारी स्थानांतरण के मामलों पर विचार करते समय मितव्ययिता, प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की अनिवार्यता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय हित में सही व्यक्ति को सही जगह तैनात करने का विशेषाधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास रहेगा।

III. यह स्थानांतरण दिशा-निर्देश/ नीति अनुमोदित / लागू होने पर प्रथम वर्ष में केवल 15% कार्मिकों को चॉइस पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। (इसमें अधिकतम अवधि वाले कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी।) इसी प्रकार दूसरे वर्ष पुनः 15% कार्मिकों को चॉइस पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा (इसमें भी अधिकतम अवधि वाले कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार **अगले 7 वर्षों में** शत-प्रतिशत कार्मिक लाभान्वित हो सकेंगे और इस नीति से **7 वर्ष के पश्चात्** क्रमवार स्थानांतरण होने से कठिन / अति कठिन क्षेत्रों में लंबी अवधि की तैनाती से बचा जा सकेगा।

IV. ऐसे कार्मिक, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते हैं, को यथासंभव अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

V. कार्य की आवश्यकता के अनुसार या विशेष परिस्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय में किया जा सकेगा। किन्तु इसके लिए निदेशक/विभागाध्यक्ष को स्थानांतरण का औचित्य फाइल में रिकार्ड करना होगा।

VI. ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में गए हुए हैं, उनके प्रत्यावर्तन के समय जिन कार्यस्थलों पर रिक्ति होगी, उन्हें उन कार्यस्थलों पर ही तैनात किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किए गए कार्यस्थल पर प्रत्यावर्तित होने के बाद दोबारा तैनात करना उनका अधिकार नहीं होगा।

भवदीय

(लै. कर्नल रामनरेश शर्मा)

निदेशक

अनुलग्नक "क"

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक (भाषा)/हिंदी प्राध्यापक के क्षेत्रवार पद कार्यालयों सहित सभी प्रशिक्षण केंद्रों की सूची (कुल 150)

क्रसं	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्र का नाम
01	**पूर्व क्षेत्र**	कोलकाता - 17 + (01 पद उपसंस्थान) = 18 पद
	(स्वीकृत पद- 33)	चित्तरंजन-01
		खड़गपुर -01
		भुवनेश्वर-03
		कटक-02
		दुर्गापुर-01
		पारादीप-01
		शांतिनिकेतन-01
		सिलीगुड़ी-01
		सुनाबेड़ा-01
		पोर्ट ब्लेयर-01
		संबलपुर-01
		फरक्का-01 (वर्तमान में आसनसोल भी संचालित है)
02	**मध्योत्तर क्षेत्र**	नई दिल्ली–11
	(स्वीकृत पद - 17)	चंडीगढ़-01
		जम्मू- 01
		जयपुर-01
		देवली- 01
		लखनऊ-01
		कानपुर-01
03	**पश्चिम क्षेत्र**	मुंबई -10 + (02 पद उपसंस्थान) = 12 पद
	(स्वीकृत पद - 30)	बैंगलूर-07 + (02 पद उपसंस्थान) = 09 पद
		नागपुर-02
		अहमदाबाद-01
		मैसूर-01
		पुणे-03
		बेलगाम-01
		पणजी-01 (वर्तमान में बडौदरा भी संचालित है)
04	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	गुवाहाटी-05
	(स्वीकृत पद - 14)	इम्फाल-01
		शिलांग-01
		डिब्रूगढ़-01
		कोहिमा-01
		अगरतला-01
		आइजोल-01

26-11-2024

		सिलचर-01
		ईटानगर-01
		गंगटोक-01
05	**दक्षिण क्षेत्र**	चैन्ने- 11 + (01 पद उपसंस्थान) = 12 पद
	(स्वीकृत पद - 48)	हैदराबाद- 10 + (02 पद उपसंस्थान) = 12 पद
		विशाखापट्टनम-06
		तिरुचिरापल्ली-03
		कोयम्बतूर-02
		अरुवनकाडू 01
		तिरुवनंतपुरम 01
		कल्पाकम01
		वेल्लूर 01
		नेयवेली 01
		कोषिकोड 01
		मदुरै-01
		पांडिचेरी 01
		तिरुनलवेली-01
		विजयवाड़ा-01
		गुंटुर-01
		सेलम-01
		कोचीन-01
06	**परीक्षा स्कंध, नई दिल्ली**	नई दिल्ली-01
	(स्वीकृत पद - 01)	
07	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली**	मुख्यालय-01
	(स्वीकृत पद - 07)	अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक-01
		कार्यशाला-03 (2 पद पृथ्वीराज रोड, 01 पद उद्योग भवन)
		भाषा पत्राचार -02 (02 पद पृथ्वीराज रोड)

26-11-2024

अनुलग्नक "ख"

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के क्षेत्रवार पद कार्यालयों तथा सभी प्रशिक्षण केंद्रों की सूची (कुल 35)

क्रसं	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्र का नाम
01	पूर्व क्षेत्र	कोलकाता - 02
	(स्वीकृत पद- 04)	भुवनेश्वर - 01
		पटना - 01
02	मध्योत्तर क्षेत्र (स्वीकृत पद - 17)	
		नई दिल्ली - 13
		चंडीगढ़ - 01
		जम्मू - 01
		जबलपुर - 01
		कानपुर - 01
03	पश्चिम क्षेत्र (स्वीकृत पद - 06)	
		मुंबई - 02
		बेंगलूरु - 02
		अहमदाबाद - 01
		पुणे - 01
04	पूर्वोत्तर क्षेत्र (स्वीकृत पद - 01)	
		गुवाहाटी - 01
05	दक्षिण क्षेत्र (स्वीकृत पद - 07)	
		चेन्नै - 02
		हैदराबाद - 02
		विशाखापट्टणम - 01
		कोयंबतूर - 01 • यह प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिया गया है और इसे त्रिवेंद्रम में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है।
		कोचीन - 01

26-11-2024

F. No. 42011/3/2014-Estt.(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training

अनुलग्नक - 'ग'

North Block, New Delhi
dated the 08th October, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Exemption from the routine exercise of transfer/ rotational transfer.

Considering that transfer of a Government employee who serves as the main care giver of persons with disability would have a bearing on the systematic rehabilitation of persons with disabilities, the Government issued OM of even number dated June 6, 2014 to exempt such employee from routine exercise of transfer/rotational transfer, subject to administrative constraints.

2. The scope of disability initially had covered (i) blindness or low vision (ii) hearing impairment (iii) locomotor disability or cerebral Palsy(iv) leprosy cured (v) mental retardation (vi) mental illness and (vii) multiple disabilities, which subsequently, vide OMs of even number dated November 17, 2014 and January 5, 2016, was further extended to include 'Autism', 'Thalassemia' and 'Haemophilia'.

3. With the enactment of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 on April 17, 2017, the following instructions are issued in supersession of the above-mentioned OMs of even number dated June 6, 2014, November 17, 2014 and January 5, 2016 with regard to the eligibility for seeking exemption from routine exercise of transfer/rotational transfer:

(i) A Government employee who is a care-giver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister with Specified Disability, as certified by the certifying authority as a Person with Benchmark Disability as defined under Section 2(r) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 may be exempted from the routine exercise of transfer/rotational transfer subject to the administrative constratints.

(ii) The term "Specified Disability" as defined in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, covers (i) Locomotor disability including leprosy cured person, cerebral palsy, dwarfism, muscular dystrophy and Acid attack victims (ii) Blindness (iii) Low-vision (iv) Deaf (v) Hard of hearing (vi) Speech and language disabilities (vii) Intellectual disability including specific learning disabilities and autism spectrum disorder (viii) Mental illness (ix) Disability caused due to: (a) Neurological conditions such as Multiple sclerosis and Parkinson's disease (b) Blood disorder- Haemophilia, Thalassemia and Sickle cell disease and (x) Multiple disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness and any other category of disabilities as may be notified by the Central Government.

Contd.... 2/-

9/11/24
26-11-2024

(iii) The term 'Specified Disability' as defined herein is applicable as grounds only for the purpose of seeking exemption from routine transfer/ rotational transfer by a Government employee, who is a care-giver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister as stated in Para 3(i) above.

4. All the Ministries/Departments are requested to bring these instructions to the notice of all concerned under their control.

(G. Srinivasan)
Director (Res)
Tel.: 2309 3074

To

(i) All Ministries/Departments of the Government of India
(ii) Department of Fiancial Services, Ministry of Finance, New Delhi in respect of Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies
(iii) Department of Public Enterprises, CGO Complex, New Delhi in respect ofCentral Public Sector Enterprises
(iv) Railway Board/Union Public Service Commission/Supreme Court of India/ Election Commision/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/NITI Aayog/Comptroller & Auditor General of India
(v) Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
(vi) Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, Sarojini House, New Delhi

Copy to:
The Director, NIC, DOPT, with a request to upload on the website of this Department

26-11-2024